

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

(ब्लाक सोशल आडिट को आर्डिनेटर द्वारा तैयार किए जाने हेतु)

ग्राम पंचायत विकास खण्ड

जनपद राज्य - उत्तर प्रदेश

सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक की तिथि :

वर्ष (जिस वर्ष का सो.आ. किया गया है) :

सामान्य सूचना

क्र. सं.	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	ग्राम पंचायत में SECC 2011 में शामिल परिवारों की संख्या	
3.	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
4.	वित्तीय वर्ष 2018-19 का सोशल आडिट किया जा रहा है उस वर्ष आवास का लक्ष्य	
5.	स्थाई पात्रता सूची से लिए गए परिवारों की संख्या	
5.1	ऐसे परिवारों की संख्या जो किसी भी सूची में नहीं हैं	
5.2	स्थाई पात्रता सूची से वरीयताक्रम का उल्लंघन कर आवास दिए गए परिवारों की संख्या	
5.3	यदि वरीयता क्रम का उल्लंघन हुआ है, तो उसका कारण	
6.	जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षक का नाम	
7.	सोशल आडिट टीम के सदस्यों का नाम	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

BSAC/BRP/SATMs के हस्ताक्षर

सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय/संस्तुत कार्यवाही के बिन्दु

क्रमांक	प्रकरण
1.	वरीयता क्रम का उल्लंघन होना।
2.	आवास आवंटित परिवार का अनर्ह होना।
3.	आवास का निर्माण पूर्ण न होना।
4.	आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होना।
5.	आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होना।
6.	आवास आवंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग करना।
7.	निर्मित आवास में लाभार्थी का स्वयं निवास न करना।
8.	दूसरी/तीसरी किश्त प्राप्त करने में लाभार्थी को कठिनाई होना।
9.	डी.आर.आई. ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होना।
10.	अन्य ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का होना।
11.	आवास हेतु सहयोग सेवाएं न मिलना।
12.	शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराया जाना।
13.	आवास में शौचालय का निर्मित न होना।
14.	आवास में शौचालय पूर्ण है परन्तु उपयोग में न होना।
15.	आवास में नाम पट्टिका न होना।
16.	आवास के लाभार्थी को किसी योजना से विद्युतीकरण का लाभ न मिलना।
17.	आवास के आस-पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होना।
18.	अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलना।
19.	लाभार्थी की मनरेगा से आवास निर्माण में स्वयं द्वारा काम करने पर आकुशल श्रमिक के रूप में 90 दिन का श्रमांश की धनराशि न मिलना
20.	आवास पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी न किया जाना।
21.	आवास अपूर्ण होने पर भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
22.	शिकायत का ठीक ढंग और समय से निराकरण न होना।

सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय/संस्तुत कार्यवाही

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति यदि कोई हो	सो.आ. ग्राम सभा बैठक में संस्तुति

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की सख्या	उत्तरवाई व्यक्ति यदि कोई हो	सो.आ. ग्राम सभा बैठक में संस्तुति

(BSAC/BRP का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति यदि कोई हो	सो.आ. ग्राम सभा बैठक में संस्तुति

(BSAC/BRP का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.सं.	प्रकरण	मामलों की संख्या	उत्तरदाई व्यक्ति यदि कोई हो	सो.आ. ग्राम सभा बैठक में संस्तुति

(BSAC/BRP का नाम एवं हस्ताक्षर)